

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची ।

दिनांक-06वीं जनवरी 2023

सेवा में,

SADANAND DAMODAR JOSHI PRABHA JOSHI,
AMIT PRABHAKAR JOSHI ATUL PRABHAKAR JOSHI,
POA HOLDER ANIL KUMAR,
HO. NO. 30, KASIDIH NEW LAYOUT, JAMSHEDPUR

विषय:-

मौजा-साकची, प्लॉट नं0-Ho. No. 30, KASIDIH NEW LAYOUT, खाता नं0-245, वार्ड नं0-7 OF JNAC, थाना-1153, जिला-पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाइन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवन की जाँच प्रभारी अग्निशमनालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उच्चोंने अपने ज्ञापांक-16 दिनांक-04.01.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं।

1. प्रस्तावित आवासीय भवन के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM का एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी० लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अद्द डिलिवरी होज एवं एक-एक अद्द ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय एवं भवन के चारों तरफ एक-एक यार्ड हाईड्रैट का संस्थापन किया जाय।
5. भवन के बेसमेन्ट, सतही एवं सभी व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को Addressable Smoke Detector System से सुरक्षित किया जाय एवं ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु किये जानेवाले पाइपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
7. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
11. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
12. पर्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्षम वाले रहेंगे।
13. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 को०जी० से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।

14. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी स्वचालित फायर चेक डॉर का संस्थापन कराया जाय।
15. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए एवं Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
16. मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
17. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
18. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
19. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
20. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
21. बिजली के मेन रिव्च बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओटू तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
22. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्यार्इट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
23. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
24. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संरक्षणित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व वेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
25. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
26. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
27. राष्ट्रीय भवन सहित भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दुड़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN
RAM

Digital signature by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL
AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddfe7a47613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90
be3cc4ac5ffdd851f5d7, postalCode=834002, st=jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01
d90f3e025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.01.06 16:28:57 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।